मसराराम आदि बनाम मथरां आदि
राजस्व अपील संख्या 67/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.06.2023	अधिवक्ता अपीलांट श्री निखिल दवे उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस भिजवाये गये 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आदिनांक तक अनुपस्थित। अत तामिली पर्याप्त मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रानीवाडा कला मे स्थित खसरा नंबर 745 रकबा 3.25 हैक्टेयर के संबध मे प्रस्तुत कर 1/6 हिस्सा घोषित कराने एवं बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत अपीलांट संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वर्गीय हकमा ने खसरा नंबर 323 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 गीगा, सजना को दे दी गंई एवं खसरा नंबर 308 की भूमि सरूपा को दे दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता होती द्वारा अपने हिस्से की आराजी श्रीमति जमका बाई पत्नी सरमेलजी महाजन निवासी रानीवाडा कला को बेचान कर दी गई, जिसक सम्पूर्ण प्रतिफल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता होती द्वारा प्राप्त कर लिया गया। वादग्रस्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी खसरा नंबर 745 की भूमि पर होती का कब्जा नहीं होने के कारण तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 03.08.1990 को नामान्तकरण नहीं खोलने का आदेश पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता होती को कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही होती के वारिसान का कोई हक–अधिकार निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब एवं जबाबुल जवाब दिनांक 03.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के न तो हस्ताक्षर थे एव न ही उसके समर्थन मे शपथ पत्र था। इसके अतिरिक्त आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा इस बाबत आपत्ति दर्ज करवाई गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी के प्रावधानो के विपरित जाकर जबाबुल रेकर्ड पर लेते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना सी.पी.सी के प्रावधानो के विपरित जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रानीवाडा कला मे स्थित खसरा नंबर 745 रकबा 3.25 हैक्टेयर के संबध मे प्रस्तुत कर 1/6 हिस्सा घोषित कराने एवं बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी

गई है। हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा रानीवाडा कला के पुराने खसरा नंबर 323 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 2 गीगा एवं सजना एवं खसरा नंबर 308 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि गीगा एवं सजना के भाई सरूपा को हुकमाराम द्वारा अपने जीवनकाल मे सुपुर्द कर दी गई एवं द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नंबर 745 रकबा 3.25 हैक्टेर सृजित किये गये एवं वादग्रस्त आराजी का द्वितीय सेटलमेंट के दौरान पर्चा लगान जारी किया गया जो कि गीगा एवं सजना द्वारा अदा किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता होती का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता होती द्वारा अपने हिस्से की आराजी मौजा रानीवाडा कला के पुराने खसरा नंबर 383/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 397/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा खसरा नंबर 412 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 413 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बेचान झमकाबाई पत्नी सरमेलजी कौम महाजन को कर कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदीयो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी वक्त द्वितीय सेटलमेंट से ही गीगा एवं सजना के नाम दर्ज रही है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब एवं जबाबुल जवाब दिनांक 03.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के न तो हस्ताक्षर थे एव न ही उसके समर्थन मे शपथ पत्र था। जिससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसके कारण जैर अपील निर्णय व डिक्री समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है तथा सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2013 बउनवान मथरा बनाम मृतक गीगा के का.मु. मसरा आदि मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली